

प्रेषक,  
अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,  
निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
उत्तरप्रदेश।

## नगरीय रोजगार एवं गरीबी सम्बन्धित कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ३ मार्च, २०१८


- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूपा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
  - प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमांक:.....2

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नीम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में जहाँ रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणानों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजनिक स्कॉप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाँधर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
  15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
  16. सेन्टेज चार्जज (अधिष्ठान व्यर्य) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
  17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्वर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त

  
 (अनिल कुमार बाजपेयी)  
 विशेष सचिव।

#### संख्या-2/1/2018/33(1)/69-1-2018, तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

  
 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
 अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-262- /2018/33/69-1-2018-36(अ0सं0-37)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2018 का  
 (धनराशि लाख रु0 में)  
संलग्नक।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्थीरत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	सिद्धार्थनगर	न0पा0प0 सिद्धार्थनगर	मो0 बुद्धनगर में हाजी जन्नू के मकान से शपीक, जौलानी व अन्य के घर तक इंटरलाइंग सड़क, नाली व ढक्कन निर्माण का कार्य।	30.08	15.04
2.	तदैव	तदैव	मो0 बुद्धनगर में पिच रोड से कब्रिस्तान, जमाल असगर, शशिकला, वकील साहब, देवी लाल श्रीयस्तव व अन्य के घर तक इंटरलाइंग सड़क एवं नाली व ढक्कन निर्माण का कार्य।	38.11	19.055
3.	तदैव	तदैव	मो0 इन्दिरा नगर में अमित सिंह के घर से गायबी मन्दिर होते हुए अवनेन्द्र व बृज कुमार के मकान होते हुए कब्रिस्तान एवं समय माता के स्थान तक इंटरलाइंग सड़क एवं नाली व ढक्कन निर्माण का कार्य।	38.74	19.37
4.	तदैव	तदैव	मो0 इन्दिरा नगर में राम नरेश के घर से सिंहरवी इ0का0 होते हुए रघुपति जायसवाल वि0म0इ0का0 तक इंटरलाइंग सड़क एवं नाली व ढक्कन निर्माण का कार्य।	38.64	19.32
5.	तदैव	तदैव	मो0 शिवाजी नगर में लुमियनी रोड से शम्भू प्रसाद, खेदू व कैलाश पंडी के घर तक इंटरलाइंग सड़क एवं नाली व ढक्कन का निर्माण का कार्य।	37.22	18.61
6.	तदैव	तदैव	मो0 शिवाजी नगर में कमलेश के मकान से राजकीय क0इ0ब00 कृष्ण बाल विद्या मन्दिर व अनूप यादव के घर होते हुए सौरभ के मकान तक इंटरलाइंग सड़क एवं नाली ढक्कन का निर्माण का कार्य।	38.22	19.11
7.	तदैव	तदैव	मो0 बुद्धनगर में मो0 संदा के घर से मु0 हरिश एवं श्री नवदेशवर के मकान होते हुए उमिला के मकान एवं सिंहरवी मन्दिर व अन्य के मकान तक इंटरलाइंग सड़क का निर्माण कार्य।	24.80	12.40
8.	तदैव	तदैव	मो0 बुद्धनगर में राम बेलास के मकान से वरन, रशीद, आकाश के घर होते हुए गोरख सिंह व अन्य के मकान तक इंटरलाइंग सड़क का निर्माण कार्य।	38.81	19.405
9.	तदैव	तदैव	मो0 बुद्धनगर में मण जी के मकान से शिव शंकर प्रजापति, तिलकराम व अन्य के मकान तक इंटरलाइंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	50.39	25.195
10.	तदैव	तदैव	मो0 बेलसड में वकील के घर से जैस मोहम्मद के घर होते हुए आफिसर्स कालोनी तक इंटरलाइंग सड़क का निर्माण कार्य।	60.98	30.49
योग				395.99	197.995

(रूपये एक करोड़ सेंतालीस लाख बीस हजार मात्र)।

  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

— अनु सचिव।